प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक– 565/नि0शा0/2021–22 दिनांक– 16/11/,2021.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0) के अर्न्तगत पुरूषों हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 210.4704 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 26/2021/1108/17–1002(002)/1/2021 दिनांक 09.11.2021 (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0) के अर्न्तगत पुरूषों हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू0 210.4704 लाख (रू0 दो करोड़ दस लाख सैंतालिस हजार चालीस मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2020 के प्रस्तर–3(।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत पुरूष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (141) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक– /नि0शा0/2021–22 दिनांक– 16/11/2021.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0) के अर्न्तगत पुरूषों हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 210.4704 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 26/2021/1108/17–1002(002)/1/2021 दिनांक 09.11.2021 (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0) के अर्न्तगत पुरूषों हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू0 210.4704 लाख (रू0 दो करोड़ दस लाख सैंतालिस हजार चालीस मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2020 के प्रस्तर–3(।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बज़ट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत पुरूष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (141) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 565 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-15/11/2021

प्रेषण संख्या:- 01

आवंटन आदेश संख्या:- 001-NEW REARING TALAB NIRMAN ALLOTMENT 15-11-2021 MALE

अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	168000 2044120	168000 2044120
2	मुज़फ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	168000 1372220	168000 1372220
3	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	168000 1073520	168000 1073520
4	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1287890 5933620	1287890 5933620
5	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	152540 152540	152540 152540
6	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	210000 2161200	210000 2161200
7	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	336000 1108800	336000 1108800
8	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	336000 991200	336000 991200
9	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	336000 2158750	336000 2158750
10	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	168000 1065120	168000 1065120
11	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	248470 2590860	248470 2590860
12	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	168000 991200	168000 991200
13	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	168000 1512000	168000 1512000
14	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	882000 3699140	882000 3699140
15	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	1092000 4193760	1092000 4193760
16	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	756000 2031840	756000 2031840

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
17	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1176000 4273680	1176000 4273680
18	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	840000 1495200	840000 1495200
19	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	168000 2673020	168000 2673020
20	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	168000 2664910	168000 2664910
21	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	588000 1990800	588000 1990800
22	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	336000 4686600	336000 4686600
23	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	168000 8692970	168000 8692970
24	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 6956100	504000 6956100
25	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1194650 4722820	1194650 4722820
26	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	460160 1714630	460160 1714630
27	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	123620 549620	123620 549620
28	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	376320 673180	376320 673180
29	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1134000 6215280	1134000 6215280
30	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	168000 2845540	168000 2845540
31	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	217390 1239790	217390 1239790
	योग	वर्तमान प्रगामी	14267040 84474030	14267040 84474030

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बयालीस लाख सरसठ हजार चालीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ करोड़ चौवालीस लाख चौहत्तर हजार तीस

(पूजा शर्मा)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-15/11/2021

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MOBILE LAB PMSY MALE ALLOTMENT 15-11-21
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	540000 1346400	540000 1346400
	योग	वर्तमान प्रगामी	540000 1346400	540000 1346400

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच लाख चालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह लाख छियालीस हजार चार सौ

(प्रज्ञा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-15/11/2021

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LIVE FISH VENDING CENTER PMSY MALE 15-11-21
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	480000	480000
		प्रगामी	4466400	4466400
2	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	480000	480000
		प्रगामी	2641200	2641200
3	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	960000	960000
		प्रगामी	5646000	5646000
4	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	1440000	1440000
		प्रगामी	7204800	7204800
5	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान	960000	960000
		प्रगामी	10173370	10173370
6	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	480000	480000
		प्रगामी	2472000	2472000
7	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	480000	480000
		प्रगामी	8406000	8406000
8	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	480000	480000
		प्रगामी	2620800	2620800
9	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	480000	480000
		प्रगामी	8297260	8297260
	योग	वर्तमान	6240000	6240000
		प्रगामी	51927830	51927830

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बासठ लाख चालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ उनीस लाख सत्ताइस हजार आठ सौ तीस

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

एनेक्जर – I

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020–21

क्र0	जनपद	रियरिंग तालाब निर्माण (अवशेष) / Rs. 7.0 lacs/hectare					
		सामान्य लाभार्थी (वित्तीय वर्ष 2021–22)					
		क्षेत्रफल हे0	धनराशि / टी0पी 0सी0	कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अनुदान (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	7.66600	53.662	21.4648	12.8789	8.5859	21.4648
2	फिरोजाबाद	2.73900	19.173	7.6692	4.6015	3.0677	7.6692
3	मैनपुरी	0.90800	6.356	2.5424	1.5254	1.0170	2.5424
4	हाथरस	1.00000	7.000	2.8000	1.6800	1.1200	2.8000
5	कासगंज	1.25000	8.750	3.5000	2.1000	1.4000	3.5000
6	आजमगढ	7.00000	49.000	19.6000	11.7600	7.8400	19.6000
7	मऊ	3.00000	21.000	8.4000	5.0400	3.3600	8.4000
8	बलिया	5.00000	35.000	14.0000	8.4000	5.6000	14.0000
9	कौशाम्बी	1.29400	9.058	3.6232	2.1739	1.4493	3.6232
10	प्रतापगढ	1.00000	7.000	2.8000	1.6800	1.1200	2.8000
11	इटावा	1.47900	10.353	4.1412	2.4847	1.6565	4.1412
12	कन्नौज	1.00000	7.000	2.8000	1.6800	1.1200	2.8000
13	हमीरपुर	1.00000	7.000	2.8000	1.6800	1.1200	2.8000
14	गोण्डा	1.00000	7.000	2.8000	1.6800	1.1200	2.8000
15	बदायूँ	2.00000	14.000	5.6000	3.3600	2.2400	5.6000
16	बस्ती	4.50000	31.500	12.6000	7.5600	5.0400	12.6000
17	सिद्धार्थ नगर	7.11100	49.777	19.9108	11.9465	7.9643	19.9108
18	बुलन्दशहर	1.00000	7.000	2.8000	1.6800	1.1200	2.8000
19	रामपुर	2.00000	14.000	5.6000	3.3600	2.2400	5.6000
20	सभल	2.00000	14.000	5.6000	3.3600	2.2400	5.6000
21	उन्नाव	1.00000	7.000	2.8000	1.6800	1.1200	2.8000
22	रायबरेली	1.00000	7.000	2.8000	1.6800	1.1200	2.8000
23	हरदोई	3.50000	24.500	9.8000	5.8800	3.9200	9.8000
24	लखीमपुरखीरी	2.00000	14.000	5.6000	3.3600	2.2400	5.6000
25	चन्दौली	6.75000	47.250	18.9000	11.3400	7.5600	18.9000
26	गाजीपुर	5.25000	36.750	14.7000	8.8200	5.8800	14.7000
27	जौनपुर	6.50000	45.500	18.2000	10.9200	7.2800	18.2000
28	सोनभद्र	0.73586	5.151	2.0604	1.2362	0.8242	2.0604
29	भदोही	2.24000	15.680	6.2720	3.7632	2.5088	6.2720
30	सहारनपुर	1.00000	7.000	2.8000	1.6800	1.1200	2.8000
31	शामली	1.00000	7.000	2.8000	1.6800	1.1200	2.8000
	प्रदेश योग	84.92286	594.460	237.7840	142.6704	95.1136	237.7840

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21 एनेक्जर– 2

लाईव फिश वेर्निडिंग सेन्टर / Rs. 20.00 lacs/unit

सामान्य लाभार्थी

कमांक	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान में से		कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कासगंज	1	20.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	8.00
2	प्रयागराज	2	40.00	16.00	9.60	6.40	9.60	6.40	16.00
3	गोरखपुर	3	60.00	24.00	14.40	9.60	14.40	9.60	24.00
4	महाराजगंज	1	20.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	8.00
5	देवरिया	2	40.00	16.00	9.60	6.40	9.60	6.40	16.00
6	बलरामपुर	1	20.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	8.00
7	अम्बेडकर नगर	1	20.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	8.00
8	मेरठ	1	20.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	8.00
9	गाजियाबाद	1	20.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	8.00
	प्रदेश योग	13	260.00	104.00	62.40	41.60	62.40	41.60	104.00

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21 एनेक्जर– 3

मोवाइल लैब / Rs. 35.00 lacs/unit

सामान्य लाभार्थी

क्रमांक	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रस्तावित कुल अवमुक्त अनुदान में से		प्रथम किश्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कानपुर नगर	1	35.00	14.00	8.40	5.60	5.40	3.60	9.00

558/फि०2/10
12-11-2021

संख्या: 26 /2021/1108/17-1002(002)/1/2021

(6)

JJF

सचिव/अतिरिक्त मुख्य अधिकारी का प्रतिवेदन।

12-11-2021
(डा० सरोज कुमार)
निदेशक मत्स्य उ०प्र०

प्रेषक,

डा० सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ०प्र० लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 09 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के अन्तर्गत सामान्य (पुरूष) वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 210.4704 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-478 /नि०शा०/ 2021-22 /16-19(6) दिनांक 24 सितम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य (पुरूष+महिला) वर्ग हेतु अवमुक्त कुल केन्द्रांश रू० 5322.57 लाख (रू० 2731.00 लाख + रू० 2591.57 लाख) के सापेक्ष अप्रयुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश रू० 4539.31 लाख में से पुरूष वर्ग हेतु अवशेष केन्द्रांश रू० 210.4704 लाख व मैचिंग राज्यांश रू० 140.3136 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू० 350.784 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य (पुरूष+महिला) वर्ग हेतु दो किश्तों में कुल केन्द्रांश रू० 5322.57 लाख (रू० 2731.00 लाख + रू० 2591.57 लाख) अवमुक्त किया गया था, जिसके सापेक्ष अवशेष / अप्रयुक्त केन्द्रांश रू० 4539.31 लाख को वर्ष 2021-22 में व्यय किये जाने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। निदेशक मत्स्य के उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार उक्त पुनर्वैध केन्द्रांश रू० 4539.31 लाख में सामान्य पुरूष वर्ग हेतु रू० 1986.6208 लाख (कुल का 43.65 प्रतिशत) तथा महिला वर्ग हेतु रू० 2552.6892 लाख (कुल का 56.35 प्रतिशत) की धनराशि निहित थी। प्रश्नगत योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में सामान्य पुरूष वर्ग मद में शेष केन्द्रांश रू० 1986.6208 लाख में से शासन के पत्र सख्या 17/2021/797/17-1002 (002)/1/2021 दिनांक 28 जुलाई, 2021 द्वारा मात्र केन्द्रांश रू० 1776.1504 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है और प्रश्नगत योजनान्तर्गत सामान्य पुरूष वर्ग मद में मात्र 210.4704 लाख का केन्द्रांश वर्तमान में अवशेष है।

(6)
D (P)

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के अन्तर्गत सामान्य (पुरूष) मद में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत रू० 14410.97 लाख की बजट धनराशि प्राविधानित की गयी है। अतः प्रावधानित/

11-11-21
(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक मत्स्य

(2)

अवशेष बजट धनराशि में से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत सामान्य (पुरूष) वर्ग मद में सर्वप्रथम कुल अवशेष मात्र केन्द्रांश रू0 210.4704 लाख (रू0 दो करोड दस लाख सैतालीस हजार चालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 03 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल महोदय अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजनाओं का नाम/ वित्त पोषण (के024+रा016+ पु0ला0-60,के.+रा.)	इकाई (हे0/ सं0)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित			अवशेष/पुनर्वैध मात्र केन्द्रांश धनराशि रू0 210.4704 लाख की वित्तीय स्वीकृति		अभ्युक्ति
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्द्रांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नये रियरिंग तालाबों का निर्माण	131.00	7.00	917.00	220.08	146.72	550.20	142.6704	142.6704	निदेशक मत्स्य के पत्र सं0 478/ नि0शा0 /2021-22/ 16-19(6) दिनांक 24 सितम्ब, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट/ संलग्नकों के अनुसार।
2	जीवित मत्स्य विक्रय केन्द्र	13	20.00	260.00	62.40	41.60	156.00	62.40	62.40	
3	मत्स्य रोग निदान हेतु मोबाइल लैब/ क्लीनिक	1	35.00	35.00	8.40	5.60	21.00	5.40	5.40	
कुल योग								210.4704	210.4704	

(रू0 दो करोड दस लाख सैतालीस हजार चालीस मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 04.05.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा पुनर्वैध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार के दिशा- निर्देशों / गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

(7) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

(10) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(11) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 के प्रस्तर- 3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(17) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3 - उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/पु0 लाभार्थी-60, के0+रा0) 20- सहायता अनुदान, – सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या- ई- 1-1854-दस-2021-2022 दिनांक 28 अक्टूबर,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव।
Signed by डा० सरोज कुमार
Date: 01-11-2021 15:01:12
Reason: Approved

संख्या-26 /2021/1108 (1) /सत्रह-म-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।